



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246688
CG-DL-E-20062023-246688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2591]
No. 2591]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

सहकारिता मंत्रालय

(सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

का.आ. 2705(अ).—जबकि, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 का नियम 3 (अब इसके पश्चात् आधार अधिप्रमाणन नियमावली के रूप में संदर्भित) केन्द्रीय सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में) को सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु अधिप्रमाणन की अनुमति देने के लिए समर्थ करती है;

और जबकि, सहकारिता मंत्रालय (सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय) ने केन्द्रीय सरकार को आधार अधिप्रमाणन नियमावली के नियम 4 द्वारा अपेक्षित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उक्त केन्द्रीय सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने दिनांक 13 जून, 2023 की अपनी संसूचना सं. eF.No. 13(9)/2023-EG-II के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय (सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय) को उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अब, अतः रिट याचिका (सि) सं. 2022 का 191 में आईए सं. 2023 का 56308 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में प्रभावशाली और पारदर्शी रीति से रीफंड की प्रक्रिया सुगम करने हेतु आधार अधिप्रमाणन

नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में सहकारिता मंत्रालय (सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, को एतद्वारा सहारा समूह की क्रेडिट समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकत्ता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद) के जमाकर्ताओं के वैध बकाए के संवितरण के लिए आवेदनों पर कार्य करने के दौरान उनके स्वैच्छिक आधार पर स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हां/नहीं या/और e-KYC अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग कर आधार अधिप्रमाणन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. A-12012/2/2023-L&M, FTS-119499]

विजय कुमार, विशेष सचिव एवं केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियाँ

MINISTRY OF COOPERATION

(Office of Central Registrar of Cooperative Societies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2023

S.O. 2705(E).—Whereas, rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the Aadhaar Authentication Rules) empowers the Central Government (in the Ministry of Electronics and Information Technology) to allow Aadhaar authentication by requesting entities in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them, for the purposes specified therein;

And whereas, the Ministry of Cooperation (Office of Central Registrar of Cooperative Societies) submitted a proposal as required by rule 4 of the Aadhaar Authentication Rules to the Central Government and the said Central Government (Ministry of Electronics and Information Technology) vide its communication No. eF.No. 13(9)/2023-EG-II dated the 13th June, 2023 has authorized the Ministry of Cooperation (Office of Central Registrar of Cooperative Societies) to perform Aadhaar authentication for the purposes mentioned therein.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication Rules, the Ministry of Cooperation (Office of Central Registrar of Cooperative Societies), having been authorised by the Central Government, hereby notifies that Aadhaar authentication of depositors of Sahara Group of Credit Cooperative Societies (Sahara Credit Cooperative Society Limited, Lucknow, Saharayan Universal Multipurpose Society Limited, Bhopal, Humara India Credit Cooperative Society Limited, Kolkata and Stars Multipurpose Cooperative Society Limited, Hyderabad) shall be performed on a voluntary basis through the online portal being developed through Stockholding Document Management Services Ltd, using Yes/No or/ and e-KYC authentication facility, during the process of applications of depositors for disbursement against their legitimate dues, to facilitate the process of refund in efficient and transparent manner in compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court's Order dated 29.3.2023 in IA No.56308 of 2023 in WP (C) No. 191 of 2022.

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. A-12012/2/2023-L&M, FTS-119499]

VIJAY KUMAR, Special Secy. & Central Registrar of Cooperative Societies